कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव

(कक्ष क्र. 05, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज खुटडोबरा रोड डोंगरीपारा कोण्डागांव)

email : adcssdmkondagaon@gmail.com

क्रमांक / 195 / जिकौविप्रा / काउंसर भर्ती / 2023–24 कोण्डागांव दिनांक 28/06/2023

काउंसलर के चयन हेतु विज्ञापन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक / 739 / CSSDA/San._coun./2020 रायपुर, दिनांक 13.11.2020 के अनुसार संकल्प परियोजना के तहत जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव अन्तर्गत प्रति दिवस मानदेय के आधार पर काउंसलर का चयन Walk in Interview के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतु दिनांक 12/07/2023 समय शायं 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन **सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव, कक्ष क्र. 05, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज खुटडोबरा रोड डोंगरीपारा कोण्डागांव** में आमंत्रित किया जाता है। स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के अलावा अन्य कोई भी माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उक्त पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी आवेदन कर सकते है। विस्तृत विवरण, आवश्यक अर्हता, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्ते आदि निम्नानुसार है।

1. **पदों का विवरण, मानदेय एवं आवश्यक अर्हता :–**

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	निर्धारित मानदेय	शैक्षणिक अर्हता
01	काउंसलर	02 (अनुसूचित जनजाति)	काउंसलर को प्रति काउंसलिंग दिवस रू. 750/– निर्धारित दर पर मानदेय भुगतान किया जावेगा। माह में अधिकतम 20 काउंसलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है।	**आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :–** न्यूनतम योग्यता किसी विषय / संकाय में स्नातक उपाधि। **वांछनीय शैक्षणिक अर्हता:–** एम.ए. (मनोविज्ञान / समाजशास्त्र) / मास्टर ऑफ सोशल वर्क / एम.बी.ए. उपाधि धारक एवं समकक्ष स्नातकोत्तर (ग्रामीण विकास / ग्रामीण अभियांत्रिकी / जनरल एवं प्रशासनिक अध्ययन को वरीयता।

टीप :– पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

2. **आवश्यक नियम एवं शर्ते :–**
   1. आवेदक को छत्तीसगढ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
   2. चयन प्रक्रिया में बस्तर संभाग के स्थानीय अभ्यथियों को पहले प्राथमिकता दी जावेगी। बस्तर संभाग के स्थानीय निवासी आवेदक पात्र नहीं होने की स्थिति में छ०ग० राज्य के मूल निवासी को ली जावेगी।
   3. आवेदक का आयु 01 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिए। आयु प्रमाण–पत्र हेतु 10वीं कक्षा के अंक सूची संलग्न करें।

Scanned by CamScanner

4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
6. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किये गये आवेदन पत्र अमान्य होगा
7. काउंसलर का चयन कलेक्टर जिला कोण्डागांव द्वारा अनुमोदित साक्षात्कार/चयन समिति की अनुशंसा पश्चात कलेक्टर जिला कोण्डागांव द्वारा किया जावेगा।
8 चयन के किसी भी स्तर पर या काउंसलिग के समय भी यदि आवेदक उपस्थित नहीं होता है, तो इसे उसके कार्य के प्रति अरूचि मानते हुए उसे प्रक्रिया से बाहर माना जावेगा।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी को कार्यादेश जारी करने के उपरांत, 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यालय में आवश्यकतानुसार एवं छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा काउंसलिंग के संबंध में प्राप्त दिशा–निर्देश के आधार पर ही काउंसलर को कार्य पर रखा जावेगा।
12. यदि आवेदक किसी अन्य संस्थान में कार्य कर रहा हो तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। दस्तावेज परीक्षण के समय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र अपात्र किया जा सकेगा।
14. मानदेय के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का भत्ता या राशि प्रदाय नही की जायेगी।
15. काउंसिलिंग हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये गए निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का पता :– आवेदक अपना आवेदन पत्र "सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव कक्ष क्र. 05 जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज खुटडोबरा रोड डोंगरीपारा कोण्डागांव पिन कोड 494226" के पत्ते पर भेज सकते हैं। विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पद का नाम लिफाफे के ऊपर अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही दो लिफाफे जिसमें प्रत्येक के लिए 5–5 रूपये का डाक टिकट सहित आवेदक का वर्तमान पता लिखा हुआ हो, संलग्न करना अनिवार्य है।**
17. अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के अनुरूप अपने अर्हता जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन पत्र भरे।
18 काउंसलर पद हेतु साक्षात्कार की सूचना एवं दावा आपत्ति संबंधी तथा अन्य किसी भी प्रकार की सूचना/जानकारी जिले के वेबसाईट **www.kondagaon.gov.in** में उपलब्ध करायी जावेगी। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पृथक से सूचना नही दी जावेगी।

3. काउंसलर की चयन प्रक्रिया :–

काउंसलर के रूप में चयन के लिए आवेदक को निर्धारित 100 अंक में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, अंको का विभाजन निम्नानुसार है–

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

Scanned by CamScanner

क्र.	चयन का आधार	अंको की गणना			कुल प्राप्त अंक
1	शैक्षणिक योग्यता	(i) स्नातक (प्राप्तांक प्रतिशत का 20%)		(ii) स्नातकोत्तर (प्राप्तांक प्रतिशत का 20%)	(i+ii) अधिकतम 40 अंक
2	काउंसलिंग से संबधित क्षेत्र में कार्यानुभव	5 वर्ष या अधिक (50 अंक)	3 वर्ष या अधिक (30 अंक)	2 वर्ष या अधिक (20 अंक)	अधिकतम 50 अंक
3	साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त अंक (निर्धारित 10 अंक में से)				
	कुल प्राप्त अंक (1+2+3)				

टीपः— 1. निर्धारित योग्यता पश्चात कौशल प्रशिक्षण/कैरियर/शिक्षा/समाज कल्याण/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/आदिवासी विकास विभाग/तकनीकी शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षण या किसी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित काउंसलिंग कार्य का अनुभव ही मान्य होगा।

2. एम.ए. (मनोविज्ञान/समाजशास्त्र)/मास्टर ऑफ सोशल वर्क/एम.बी.ए. उपाधि धारक एवं समकक्ष स्नातकोत्तर (ग्रामीण विकास/ग्रामीण अभियांत्रिकी/जनरल एवं प्रशासनिक अध्ययन) को वरीयता दी जावेगी। निर्धारित अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य होगा।

3. शासकीय/अर्धशासकीय एवं निजी संस्थानों द्वारा प्रदाय अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।

4. निजी संस्थानों द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5 **अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन सूची कार्यालय के सूचना पटल व जिला के वेब साईट www.kondagaon.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी।**

6. शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी। यह वरीयता सूची, चयनित प्रथम अभ्यर्थी को कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी। इस अवधि में कार्यादेश जारी किये गये अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने/कार्य छोड़ देने/पदों की संख्या बढ़ने से इसी वरीयता सूची से चयन की कार्यवाही की जायेगी।

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

4. **काउंसलिंग सेल की स्थापना :–**

1. काउंसलिंग सेल जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कोण्डागांव में स्थापित किया जावेगा। इस हेतु सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव नोडल अधिकारी होंगे।

5. **काउंसलर द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :–**

1 कौशल प्रशिक्षण के पंजीयन के पूर्व हितग्राहियों की काउंसलिंग की जावेगी।

2 काउंसिलिंग के दौरान राज्य एवं जिला के अंतर्गत पूर्व से उपलब्ध तथा भविष्य के संभावित रोजगार/स्वरोजगार के अवसरो से हितग्राहियों को अवगत करावें तथा स्वरोजगार हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम प्राप्त होने वाले ऋण तथा उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारियों का व्याख्यान/प्रस्तुतीकरण कराये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

3 काउंसिलिंग के दौरान प्रत्येक हितग्राही की शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का भी आंकलन किया जाना होगा।

Scanned by CamScanner

4 काउंसिलिंग में सम्मिलित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु काउंसिलिंग के दौरान कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण उपरांत सफल युवाओं के व्याख्यान (सफलता की कहानी) की व्याख्या अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

5 काउंसलर को राज्य प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर काउंसिलिंग से संबंधित कार्यवाही ऑनलाईन किये जाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें काउंसलर द्वारा काउंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी प्रविष्ट की जावेगी।

6 काउंसिलिंग का आयोजन जिला मुख्यालय में स्थित लाईवलीहुड कॉलेज के भवन में आयोजित किया जायेगा। काउंसिलिंग की प्रक्रिया निरंतर प्रत्येक दिवस संचालित की जायेगी।

7 लाईवलीहुड कॉलेज में काउंसिलिंग होने का समुचित प्रचार–प्रसार किया जाना होगा।

8 काउंसलिंग में उपस्थित हितग्राहियों का उपस्थिति पत्रक तैयार करना।

9 काउंसलिंग से संबंधित फोटोग्राफ्स रखना।

10 कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी तैयार करना ।

11 काउंसिलिंग हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये गए निर्देशों का पालन किया जाना होगा।

6. काउंसलर को मानदेय का भुगतान :–

1. काउंसलर को मानदेय अधिकतम रू. 750/– प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा। (माह में अधिकतम 20 काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है।)
2. काउंसलर को उनके निर्धारित मानदेय का भुगतान निम्न आधार पर किया जाना है–
   – काउंसलर द्वारा काउंसिलिंग के समय तैयार किये गये प्रतिवेदन,
   – फोटोग्राफ्स तथा
   – काउंसिलिंग में उपस्थित युवाओं के प्रशिक्षण बैच में प्रशिक्षार्थियों के रूप में पंजीयन।

7. <u>काउंसलर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना</u> :–

काउंसलर द्वारा युवाओं के काउंसिलिंग के पश्चात निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज को प्रस्तुत किया जाना होगा।

काउंसिलिंग का स्थान.................................... काउंसिलिंग की तिथि.........................

क्रमांक	हितग्राहियों का नाम	रूचि	रूचि से संबंधित सेक्टर	हितग्राही का व्यक्तिगत विवरण			कोर्स जिसमें प्रशिक्षण लिया जाना है	आधार नंबर	क्या हितग्राही उक्त कोर्स हेतु योग्य है
				शैक्षणिक	सामाजिक	आर्थिक			

हस्ताक्षर–
काउंसलर का नाम –
मोबाईल नम्बर –

Scanned by CamScanner

8. **काउंसलर की कार्य अवधि :–**

(काउंसिलिंग कार्य अवधि में विस्तार या भविष्य में काउंसिलिंग कार्य की निरंतरता हेतु आवश्यक)

1. संकल्प परियोजना के कियान्वयन तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर।
2. काउंसिलिंग के उपरांत हितग्राही का प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवर्तित होने के प्रतिशत (न्यूनतम 60 प्रतिशत) के आधार पर ।
3. प्रशिक्षण बैच के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के नियमित उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज के आधार पर।
4. काउंसिलिंग के पश्चात, प्रशिक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों का बैच तैयार कर प्रशिक्षण हेतु आवेदित ट्रेनिंग बैच नम्बर (टीबीएन) एवं संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता में प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों की नियमित उपस्थिति के आधार पर काउंसलर का मूल्यांकन किया जावेगा।

डिप्टी कलेक्टर सह प्रभारी अधिकारी
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

Scanned by CamScanner

जिला काउंसिलिंग सेल, कोण्डागांव हेतु काउंसलर पद के लिए आमंत्रित आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन–पत्र

स्व हस्ताक्षरित फोटोग्राफ्स

प्रति,

सहायक संचालक
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

विषयः– काउंसलर पद हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जातिः– ....वर्ग..
4. लिंग (महिला/पुरूष) ....
5. जन्म तिथि (अंको में) ....
   (शब्दों में) ....
6. पत्राचार का पूर्ण पताः– ....
   ....
   ....
7. मोबाईल नम्बर :– ....
8. स्थायी निवास का पूर्ण पताः ....
   ....
   ....
9. ई–मेल आई डी :– ....
10. राज्य का नाम :– ....
11. जिला का नाम :– ....
12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1					
2					
4					
5					

Scanned by CamScanner

13. काउंसलिंग क्षेत्र से संबंधित अनुभव :–

स.क्र.	विभाग / संस्था का नाम	पद का नाम	कार्य अवधि कब से	कार्य अवधि कब तक	कुल अनुभव वर्षो में	कार्य की प्रकृति

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

घोषणा–पत्र

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है, यदि यह जानकारी असत्य पाई जावेगी तो मेरा आवेदन / उम्मीदवारी / चयन निरस्त की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।

स्थान :– ....
दिनांक :–..............................

आवेदक हस्ताक्षर

पूरा नामः ....

पूर्ण पता....................................

Scanned by CamScanner

अनुभव प्रमाण–पत्र प्रारूप

जारी करने वाले संस्था का नाम..

क्रमांक............................/...................................   दिनांक...

प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री/श्रीमती.. पिता/पति श्री..हमारे संस्थान में काउंसलर के रूप दिनांक .... से दिनांक............................तक कार्यरत रहे/है। इनके द्वारा कौशल प्रशिक्षण/कैरियर/शिक्षा/समाज कल्याण/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/आदिवासी विकास विभाग/तकनीकी शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षण/औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित काउंसलिंग का कार्य किया गया है।

इनका प्रतिमाह वेतन/मानदेय रू..............................था/है।

टीपः– निः शुल्क कार्य करने का कार्यानुभव मान्य नहीं होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

नाम...

पदनाम...

संस्था की पदमुद्रा/सील

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव

(कक्ष क्र. 05, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज खुटडोबरा रोड डोंगरीपारा कोण्डागांव)

email : adcssdmkondagaon@gmail.com

क्रमांक / 196 / जिकौविप्रा / काउंसर भर्ती / 2023–24 कोण्डागांव दिनांक 28/06/2023

काउंसलर के चयन हेतु प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक / 739 / CSSDA/San._coun./2020 रायपुर, दिनांक 13.11.2020 के अनुसार संकल्प परियोजना के तहत जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव अन्तर्गत प्रति दिवस मानदेय के आधार पर काउंसलर का चयन Walk in Interview के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतु दिनांक 12/07/2023 समय शायं 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन **सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव, कक्ष क्र. 05, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज खुटडोबरा रोड डोंगरीपारा कोण्डागांव** में आमंत्रित किया जाता है। स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के अलावा अन्य कोई भी माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उक्त पद के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते है। विस्तृत विवरण, आवश्यक अर्हता, चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्र प्रारूप सेवा शर्ते आदि कार्यालयीन कार्य दिवस एवं समय पर कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कोण्डागांव के सूचना पटल पर या www.kondagaon.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर सह प्रभारी अधिकारी
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

Scanned by CamScanner